(ii) चयनित उम्मीदवारों को उन पदों पर नियुक्त होने का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं है जिनके लिए उनका चयन किया गया है।

(iii) सुदेश कुमारी के मामले में पीठ द्वारा विशेष रूप से इस प्रभाव से दिए गए निर्देश कि 15 अक्टूबर, 1989 को तैयार की गई चयन सूची समाप्त नहीं होगी, कानून के अनुरूप नहीं हैं।

(iv) प्रत्यर्थी-हरियाणा राज्य उन व्यक्तियों के मामलों की जांच करेगा, जिन्हें नियुक्त किया गया था, भले ही उन्होंने योग्यता सूची में शामिल करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किए थे और उन पदों की संख्या के भीतर नहीं थे जिनके लिए बोर्ड को अनुरोध भेजा गया था।यह कानून के अनुसार आदेश पारित करेगा।

(v) बोर्ड द्वारा 15 अक्टूबर, 1989 को तैयार की गई सूची एक वर्ष की अवधि के लिए वैध थी।यदि कोई उम्मीदवार जिसका नाम क्रम संख्या 662 तक उपस्थित हुआ है, अब तक नियुक्त नहीं किया गया है, तो राज्य उसके दावे पर विचार करेगा और उसे नियुक्त करेगा।15 अक्टूबर, 1990 के बाद से उत्पन्न होने वाली सभी रिक्तियों का पुनः विज्ञापन किया जाएगा और

उन रिक्तियों के लिए भर्ती चयनित उम्मीदवारों में से की जाएगी।

(34) रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आर. एन. आर

माननीय आर. पी. सेठी और सतपाल, न्यायाधीश

बी. डी. शर्मा और अन्य-अपीलार्थी।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता।

1992 का एल. पी. ए. सं. 566

30सितंबर, 1994

लेटर पेटेंट अपील 1919 खंड X-पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966-धारा 82 (6)-क्या किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों को केंद्र सरकार की विशिष्ट मंजूरी के बिना बदला जा सकता है जैसा कि अधिनियम के तहत परिकल्पना की गई है-और यदि बदला जाता है, तो क्या यह कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, भले ही सेवा नियमों को पूर्व अनुमोदन के साथ संशोधित किया गया हो।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम 6 (बी) वर्ग I में संशोधन करने की अनुमति नहीं है ताकि पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित किया जा सके।

(पैरा 17)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिविल सेवकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं और इस शर्त के अधीन कि वे संविधान के भाग III में निहित मूल अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं।अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने संशोधित नियमों में भेदभाव के किसी भी दोष का उल्लेख नहीं किया है।हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से पूरी तरह से बाहर रखा गया है, इसलिए प्रतिवादी की कार्रवाई असंवैधानिक थी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करती थी।आम तौर पर विचार से बहिष्कार को तब तक अधिकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे प्राप्त करने के लिए एक उचित संबंध न हो।तत्काल मामले में, पदोन्नति के लिए उच्च

योग्यता निर्धारित करने के आधार पर विचार से बहिष्कार उचित है।

(पैरा 20)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने की दृष्टि से की गई शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण को किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों पर आधारित नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा 22)

इसके अलावा, हालांकि तथ्यों पर यह पाया गया है कि टी. आर. कपूर के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी, 1968 के अनुमोदन पत्र ध्यान दें नहीं दिया था, फिर भी यह माना जाता है कि उसमें व्यक्त किए गए विचार टी. एन. खोसा के मामले (ऊपर) और पी. मुरुगेसन के मामले (ऊपर) में व्यक्त किए गए विचारों के विपरीत हैं, उच्च न्यायालय को उस न्यायालय की छोटी पीठ द्वारा व्यक्त की गई राय की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा व्यक्त की गई राय का पालन करना होगा।

(पैरा 30)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को टी. एन. खोसा के मामले (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर बदला जा सकता है और जैसा कि पी. मुरुगेसन के मामले (ऊपर) में दोहराया गया है।

(पैरा 33)

अपीलकर्ता की ओर से वकील विकास सिंह के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सरजीत सिंह।

कमल शर्मा, एडिशनल।ए. जी. प्रतिवादी के लिए।

<u>निर्णय</u>

आर. पी. सेठी, जे.

(1) इन अपीलों में निर्धारण की आवश्यकता वाले कानून के महत्वपूर्ण बिंदु हैंः–

(i) क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की खंड 82 (6) द्वारा परिकल्पित केंद्र सरकार की विशिष्ट मंजूरी के बिना किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों में बदलाव किया जा सकता है?और

(ii) क्या सेवा में कार्यरत कर्मचारी की सेवा शर्तों को उसके नुकसान के लिए बदला जा सकता है, भले ही सेवा नियमों को केंद्र

सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ संशोधित किया गया हो?.

(2) इन बिंदुओं का निर्धारण इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के कारण आवश्यक है जिसमें परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं।बी. डी. शर्मा और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य (1), यह अभिनिर्धारित किया गया कि 27 मार्च, 1957 के केंद्र सरकार के पत्र को ध्यान में रखते हुए जिसे केंद्र सरकार ने फरवरी, 1968 के महीने में जारी किया था, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से जारी संख्या 22/25/67-S. R. (S) थी, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी मानी गई थी और घोषणा की गई थी कि पंजाब राज्य को नियमों में संशोधन करने का अधिकार है, भले ही संशोधन कर्मचारी की सेवा शर्तों को बदलने के बराबर हो या पदोन्नति आदि के मामले में।

(3) जे. एस. सेखों, जे. ने टेक सीएमडी जॉइन और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2) में और वी. के. झांजी, जे. ने राम सरूप शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (3) में एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था।

(4) पत्र पेटेंट अपील सं. 1991 का 139,680,1270,1992 का 566,191,120 और 1994 का 196 उपरोक्त तीन निर्णयों के खिलाफ दायर किए गए हैं।

(5) 1991 का एल. पी. ए. सं. 139 जे. एस. सेखों, जे. के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिन्होंने मोहम्मद में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करने के बाद।शुजात अली और अन्य बनाम भारत संघ, (4) ', और टी. आर. कपूर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (5) ने माना कि

(1) 1992(3) एसएलआर 752।

(2) 1991 (1) एसएलआर 236।

(3) 1991(3) आरएसजे 684।

(4) ए. आई. आर 1974 एस. सी. 1631 में।

(5) ए. आई. आर 1987 एस. सी. 415.

राज्य के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की खंड 115 (7) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य निर्देश प्रतिवादी को नियमों में संशोधन करने के लिए अधिकृत करने वाले विवाद को शामिल करेंगे।इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने सहायक अधीक्षक (कोषागार) से सहायक कोषागार अधिकारी के पद पर निजी प्रतिवादी के पदोन्नति आदेशों को रद्द कर दिया और प्रत्यर्थी-राज्य को निर्देश दिया कि वे रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों पर पुनर्विचार करें और साथ ही 1962 के नियमों के नियम 7 (1) में सन्निहित कोटा नियम के अनुसार सहायक कोषागार अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए निजी प्रतिवादी को भी तीन महीने की अवधि के भीतर।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि 1980 के समूह बी नियमों का विवादित नियम 9 याचिकाकर्ताओं पर लागू होता है, सिवाय याचिकाकर्ता संख्या 2 के, जो पहले से ही नियत दिन यानी 1 नवंबर, 1966 से पहले सेवा में थे, उन्हें केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन नहीं लेने के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (संक्षेप में 'अधिनियम') की खंड 82 (6) का उल्लंघन करने वाला माना गया था।

(6) इसी तरह, वी. के. झांजी, जे. ने पंजाब जनसंपर्क विभाग सेवा

नियम, 1958 में किए गए संशोधन पर विचार करते हुए कहा कि चूंकि विवादित अधिसूचना ने याचिकाकर्ताओं की सेवा की शर्तों को बदल दिया है, जिससे वे पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पूरी तरह से अयोग्य हो गए हैं, इसलिए यह अधिनियम की खंड 82 (6) का उल्लंघन है। हरियाणा राज्य द्वारा 28 नवंबर, 1988 को 1975 के नियमों के नियम 9 के खंड (सी) में संशोधन करते हुए जारी की गई अधिसूचना, जिसमें याचिकाकर्ताओं को डी. पी. आर. ओ./पी. आर. ओ. के पद पर पदोन्नति के लिए अयोग्य ठहराया गया था, अधिनियम की खंड 82 (6) का उल्लंघन करते हुए रद्द कर दिया गया था।

(7) तथापि, बी. डी. शर्मा के मामले (उपर्युक्त) में, न्यायमूर्ति आर. एस. मोंगिया ने ऊपर उल्लिखित 1957 और 1968 के पत्रों का उल्लेख किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे, "ऊपर दर्ज कारणों से, मेरा मानना है कि 1966 के अधिनियम की खंड 82 (6) के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी थी और इसलिए, जनवरी, 1969 में लाए गए द्वितीय श्रेणी के नियमों के नियम 9 में संशोधन को उस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है।"

(8) पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता की लंबी दलीलें सुनी गई

हैं।

(9) 1991 का एल. पी. ए. सं. 139, जे. एस. सेखों, जे. के 1980 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3042 और एल. पी. में दिए गए निर्णय के विरुद्ध दूषित है। ए; 1994 की संख्या 115,119 और 120 को जे. एस. सेखों, जे.

1991 के एल. पी. ए. संख्या 680 और 1270 को 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 436 में दिए गए वी. के. झांजी, जे. के फैसले के खिलाफ निर्देशित किया गया है।1992 का एल. पी. ए. सं. 566, आर. एस. मौंगिया, जे. के 1983 की सिविल रिट याचिका सं. 3644 में दिए गए निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है।

अधिनियम की खंड 82 की उप-खंड 6 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:–

> "संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के निर्धारण के संबंध में संविधान के भाग XIV के अध्याय I के प्रावधानों के प्रवर्तन को नियत दिन पर या उसके बाद प्रभावित करने के लिए इस खंड की कोई भी बात नहीं मानी जाएगीः
>
> बशर्ते कि उप-धारा 1 या उप-धारा 2 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में नियत दिन से तुरंत पहले लागू होने वाली सेवा की शर्तों में केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा उसके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा।

(10) ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1966 में राज्यों के पुनर्गठन के

बाद, पुनर्गठन से प्रभावित कर्मियों के लिए विभिन्न सेवा शर्तों के मामले पर गर्मियों में और दिसंबर, 1956 के महीने में आयोजित सम्मेलन में राज्य के प्रतिनिधियों के साथ विचार किया गया था।उन सम्मेलनों में व्यक्त किए गए विचारों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि निम्नलिखित शर्तें हैंःपुनर्गठन की तारीख से तुरंत पहले पुनर्गठन से प्रभावित कर्मियों के लिए लागू सेवा को उसमें बताए अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिए।यात्रा भत्ता, अनुशासन नियंत्रण, वर्गीकरण, अपील, आचरण, परिवीक्षा और विभागीय पदोन्नति के मामले में नियमों के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने के सवाल पर भी विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार राज्य प्रतिनिधियों की ओर से व्यक्त किए गए विचार से सहमत है कि इन शर्तों के मामले में किसी भी सुरक्षा का प्रावधान करना उचित नहीं होगा।" उक्त आदेश ने विशेष रूप से केंद्र सरकार के निर्णय को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त कियाः–

> "सेवा की ऐसी शर्तों के संबंध में, जिन पर कार्यवाही के पैराग्राफ में विशेष रूप से विचार किया गया है, राज्य सरकारों के लिए यह खुला रहेगा कि वे उसमें बताए गए निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करें और जब तक राज्य सरकारें उन निर्णयों के

अनुरूप कार्य करती हैं, तब तक वे केंद्र सरकार की ओर से राज्य पुनर्गठन अधिनियम की उप-खंड (7) या खंड 115 के परंतुक की शर्तों को स्वीकार कर सकती हैं।

सेवा की शर्तों से जुड़े अन्य मामले जो कार्यवाही के पैराग्राफ में विशेष रूप से शामिल नहीं हैं, संबंधित राज्य सरकारों के लिए किसी कर्मचारी की सेवा की पिछली शर्तों को उसके नुकसान के लिए बदलने के लिए कोई कार्रवाई करने से पहले उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।इस पत्र में माने गए किसी भी मुद्दे के बारे में केंद्र सरकार की मंशा के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में राज्य सरकारें निस्संदेह इस मामले को स्पष्टीकरण के लिए भारत सरकार को भेजेंगी।"

(11) फरवरी, 1968 में भारत सरकार के उप सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया थाः—

"मुझे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की खंड 82 की उप-खंड (6) के परंतुक का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि खंड की उप-खंड (2) की उप-खंड (1) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति के लिए नियत दिन से तुरंत पहले लागू होने वाली सेवा की शर्तों में केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन

के अलावा उसके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा।पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से प्रभावित कर्मियों को विभिन्न सेवा शर्तों के मामले में प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के सवाल पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (प्रति संलग्न) के संबंध में 27 मार्च, 1957 को इस मंत्रालय के पत्र संख्या 5/6/57-SR (S) में निर्धारित सेवा शर्तों की सुरक्षा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से प्रभावित कर्मियों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

2. मेरा अनुरोध है कि सभी संबंधितों को तदनुसार उचित निर्देश जारी किए जाएं।"

(12) अधिनियम की खंड 82 की उप-खंड 6 के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि राज्यों के पुनर्गठन से तुरंत पहले एक सिविल सेवक पर लागू सेवा की शर्तों को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा उसके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता है।यह सच है कि केवल पदोन्नति का अवसर एक सिविल सेवक का अधिकार नहीं है, बल्कि यह भी उतना ही सच है कि उसे पदोन्नति के लिए विचार किए जाने

का अधिकार है, जिसे छीन लेने पर वह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।इसलिए, किसी लोक सेवक को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से वंचित करना उसकी सेवा की स्थिति के लिए नुकसानदेह है।

मोहम्मद भाकर बनाम वाई. कृष्ण रेड्डी (6) में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक नियम जो किसी व्यक्ति की पदोन्नति को प्रभावित करता है, उसकी सेवा की स्थिति से संबंधित है।उस मामले में, यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि एक नियम जो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना पदोन्नति के लिए एक पूर्व-आवश्यकता के रूप में कुछ विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए लागू करता है, अमान्य था।इसी तरह, मोहम्मद में।शुजात ऑल के मामले (ऊपर) में कहा गया था, "एक नियम जो वास्तविक पदोन्नति का अधिकार या पदोन्नति के लिए माना जाने का अधिकार प्रदान करता है, वह सेवा की शर्त निर्धारित करने वाला नियम है।"

(13) न्यायिक घोषणाओं की पूर्व-प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि विवादित नियमों में संशोधन किया गया था, जिससे पंजाब और हरियाणा राज्यों के पुनर्गठन से पहले सेवा में रहे कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।हालाँकि, विचार करने की बात यह है कि क्या अधिनियम की खंड 82 की उप-खंड 6 के अधिदेश के अनुसार नियमों में बदलाव किया गया था और उसमें किया गया संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित सिविल सेवक के मूल अधिकार के विपरीत नहीं था।

(14) अधिनियम के खंड 82 (6) द्वारा निर्धारित पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि प्रावधान अनिवार्य है और किसी भी नियम को तब तक संशोधित नहीं माना जा सकता जब तक कि केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।कानून के इस प्रस्ताव के संबंध में पार्टियों के वकील का कोई विवाद नहीं है।हालाँकि, यह देखा जाना चाहिए कि तत्काल मामले में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त की गई थी या नहीं।यह तर्क दिया गया है कि चूंकि उपरोक्त नियमों के संशोधन के संबंध में कोई विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए संशोधन को रिट याचिकाकर्ताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और जहां तक उनकी सेवा शर्तों का संबंध है, इसे अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए।रिलायंस को टी. आर. कपूर के मामले (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर रखा गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

> “यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की खंड 82 (6) का परंतुक संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत सभी व्यक्तियों के लिए लागू सेवा की शर्तों को बदलने की राज्यपाल की शक्ति

पर एक बंधन की प्रकृति का है।यह इस बात में हस्तक्षेप करता है कि उसकी उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों यानी राज्य के पुनर्गठन से प्रभावित सिविल सेवा के सदस्यों के लिए लागू सेवा की शर्तें।

(6) 1970 एसएलआर 768, एससी,

किसी भी व्यक्ति की सेवा की शर्तें जो नियत दिन से तुरंत पहले मौजूदा पंजाब राज्य के मामलों के संबंध में सेवा कर रहे थे और उत्तराधिकारी राज्य के मामलों के संबंध में सेवा के लिए आवंटित तिथि से हैं, यानी आवंटित सरकारी कर्मचारियों को उनके नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता है।"

(15) पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, क्लास I, नियमों के नियम 6 (बी) में किए गए संशोधनों का उल्लेख करते हुए यह निर्णय लिया गयाः

"प्रथम श्रेणी के नियमों के तहत, जैसा कि वे नियत दिन से तुरंत पहले मौजूद थे, यानी 1 नवंबर, 1966 से पहले, सिंचाई शाखा, पंजाब में ओवरसियर इंजीनियरिंग सेवा का एक सदस्य, जिसके पास डिप्लोमा था, वह द्वितीय श्रेणी की सेवा में उप-मंडल अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने के लिए पात्र था और फिर नियत समय में इंजीनियरिंग में डिग्री के बिना उनके लिए निर्धारित कोटे के भीतर प्रथम श्रेणी की सेवा में कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नत होने के लिए पात्र था।*प्रथम श्रेणी के नियमों की असंशोधित धारा 6 (ख) के तहत पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए ए. एस. परमार के मामले में इस

न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित इंजीनियरिंग में डिग्री होना आवश्यक नहीं था, जैसा कि धारा 6 (ख) के तहत प्रथम श्रेणी की सेवा में कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के मामले में आवश्यक था कि उस वर्ग में आठ साल की सेवा हो न कि इंजीनियरिंग में डिग्री।तथापि, आर. 6 (बी) में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन करने वाली विवादित अधिसूचना द्वितीय श्रेणी की सेवा के सदस्यों को याचिकाकर्ताओं की तरह, जो डिप्लोमा धारक हैं, ऐसी पदोन्नति के लिए इंजीनियरिंग में डिग्री को एक आवश्यक योग्यता बनाकर पदोन्नति के लिए अयोग्य बनाती है, जो केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उनके नुकसान के लिए लागू सेवा की शर्तों में परिवर्तन के बराबर है और इस प्रकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की खंड 82 की उप-खंड (6) के परंतुक के कारण अमान्य है।"

(16) ऐसा प्रतीत होता है कि उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एन. राघवेंद्र राव बनाम उपायुक्त, मैंगलोर (7) मामले में उस न्यायालय की संविधान पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियों ध्यान दें नहीं दिया था -

"हमारी राय में, उस व्यवस्था में जिसमें खंड 115 (7) का परंतुक रखा गया है, अभिव्यक्ति "पूर्व अनुमोदन"

(7) ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 136.

केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ सीमाओं के भीतर सेवा की शर्तों में बदलाव के लिए एक सामान्य अनुमोदन शामिल होगा।यह याद रखना होगा कि संविधान का अनुच्छेद 309 संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्य सरकार को नियम बनाने की पूरी शक्तियां देता है।खंड 115 (7) का प्रावधान उस शक्ति को सीमित करता है, लेकिन उस सीमा को केंद्र सरकार द्वारा अपनी पूर्व मंजूरी देकर हटाया जा सकता है।इस संदर्भ में, हम सोचते हैं कि संसद का यह इरादा नहीं हो सकता था कि राज्यों द्वारा बनाए गए सेवा नियमों की केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्मतम विस्तार से जांच की जाएगी।शर्तें राज्य से राज्य में भिन्न होती हैं और विवरण प्रत्येक राज्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भरा जाना चाहिए।अधिनियम की खंड 115 (7) के प्रावधान में अंतर्निहित व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सेवा की शर्तों को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा नहीं बदला जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में, सेवा की शर्तों में बदलाव करने से पहले, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।ऊपर उल्लिखित ज्ञापन में, केंद्र सरकार, विभिन्न पहलुओं की जांच करने के

बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यात्रा भत्ता, अनुशासन, नियंत्रण, वर्गीकरण, अपील, आचरण, परिवीक्षा और विभागीय पदोन्नति के मामले में कोई सुरक्षा प्रदान करना उचित नहीं होगा।हमारे कथन में, यह खंड 115 (7) के परंतुक के भीतर पूर्व अनुमोदन के बराबर है।

इसी तरह, मोहम्मद में।शुजात अली के मामले (ऊपर) शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने एन राघवेंद्र राव के मामले (ऊपर) में पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए कहाः

"ज्ञापन और विशेष रूप से पैराग्राफ 3 के साथ पढ़े गए पैराग्राफ 6 से यह स्पष्ट होगा कि जहां तक विभागीय पदोन्नति का संबंध है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा कि वे चाहें तो सेवा की शर्तों को बदल सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए वे खंड 115, उप-खंड (7) के परंतुक द्वारा आवश्यक केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन ग्रहण कर सकते हैं।ज्ञापन के पैराग्राफ 3 में विशेष रूप से जिन सेवा शर्तों पर चर्चा की गई है, उनमें विभागीय पदोन्नति से संबंधित और ज्ञापन के पैराग्राफ 6 के तहत केंद्र शामिल है।

सरकार ने विभागीय पदोन्नति से संबंधित सेवा की शर्तों में राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन को अपनी पूर्व मंजूरी दे दी, क्योंकि केंद्र सरकार की राय में उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी।ज्ञापन के इस निर्माण के खिलाफ जो एकमात्र तर्क दिया जा सकता था, वह यह था कि विभागीय पदोन्नति से संबंधित सेवा की शर्तों में किए जाने वाले किसी भी बदलाव के लिए पहले से दी गई सामान्य सर्वव्यापी मंजूरी को खंड 115, उप-खंड (7) के परंतुक के अर्थ के भीतर 'पूर्व अनुमोदन' नहीं माना जा सकता था।लेकिन यह तर्क एन. राघवेंद्र राव बनाम उपायुक्त, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 136 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय से समाप्त होता है।"

(17) टी. आर. कपूर के मामले (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य सरकार के लिए नियम 6 (बी) वर्ग 1 नियमों में पूर्वव्यापी ई के साथ संशोधन करने की अनुमति नहीं थी।'भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत लागू किया गया है ताकि प्रथम श्रेणी की सेवा में कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित किया जा सके, द्वितीय श्रेणी की सेवा के सदस्य जो डिप्लोमा धारक थे, हालांकि वे उस श्रेणी की सेवा में आठ साल की पात्रता की शर्त को पूरा करते हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों न्यायाधीशों

की पीठ ने भारत सरकार के उप सचिव के फरवरी, 1968 के पत्र ध्यान दें नहीं दिया है, जिसके द्वारा अधिनियम की खंड 82 की उप-खंड 6 के संदर्भ में सामान्य अनुमोदन दिया गया था।

(18) यह तर्क कि 27 मार्च, 1957 के पत्र के जारी होने से पहले दिसंबर, 1956 में आयोजित सम्मेलन में पंजाब और हरियाणा राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, सामान्य अनुमोदन देने के निर्णय सहित उसमें लिया गया निर्णय पंजाब और हरियाणा राज्यों में लागू नहीं था, तत्काल मामले में कोई लाभ नहीं है।राज्य प्रतिनिधियों के सम्मेलन का आयोजन न तो अधिनियम की खंड 82 की उप-खंड 6 के तहत एक पूर्ववर्ती शर्त थी और न ही किसी संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान के तहत एक दायित्व था।एक बार जब उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने सामान्य अनुमोदन प्रदान करने की मंजूरी दे दी थी, तो कोई रोक नहीं थी।केंद्र सरकार के लिए सामान्य रूप से अपनी मंजूरी देने के लिए-अपने फरवरी, 1968 के पत्र के माध्यम से।इसलिए, आर. एस. मोंगिया, जे. का यह मानना सही था किः–

> "दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने टी आर कपूर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का हवाला

दिया 1986 **(4)** एस. एल. आर. 155 (एस. सी.), यह तर्क देने के लिए कि फरवरी, 1968

पत्र केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति नहीं है।यह देखा जा सकता है कि टी. आर. कपूर के मामले में (ऊपर/चुनौती वर्ष 1968 में लाए गए कुछ नियमों के संशोधन के लिए थी और हमले का आधार यह था कि संशोधन कानून में गलत था क्योंकि 1966 के अधिनियम की खंड 82 (6) के तहत केंद्र सरकार की कोई पूर्व मंजूरी नहीं थी। इस तर्क को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और संशोधन को खारिज कर दिया गया।इसमें कोई संदेह नहीं है कि टी. आर. कपूर के मामले (उपरोक्त) में, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क को बरकरार रखा गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि इसका सुझाव नहीं दिया जा रहा था या यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि केंद्र सरकार ने 1966 के अधिनियम की खंड 82 (6) के तहत अपनी मंजूरी दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा राज्य और टी. आर. कपूर के मामले (ऊपर) में निजी प्रतिवादी ने फरवरी, 1968 के केंद्र सरकार के पत्र को उच्चतम न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया।इस पत्र में कहा गया है कि 1966 के अधिनियम की खंड 82 (6) के तहत निर्णय वही है जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की खंड 115 (7) के तहत लिया गया था, जब 27 मार्च, 1957 को पत्र जारी किया गया था।हालाँकि,

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने 1968 के इस पत्र को 1957 के पत्र से अलग करने की कोशिश करते हुए कहा कि 1957 के पत्र में निहित निर्णय के केवल एक हिस्से को 1968 में अनुमोदित किया जा रहा था, जहाँ तक यह कहा गया है कि केवल उन सेवा शर्तों को संरक्षण दिया जाएगा जिनकी परिकल्पना 1957 के पत्र में की गई थी।दूसरे शब्दों में, तर्क यह था कि जहां तक अन्य शर्तों का संबंध है, यह निर्णय लिया गया था कि प्रेषक की शर्तों के लिए किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए, प्रभावी पदोन्नति के संबंध में 1963 के नियमों में संशोधन करने से पहले खंड 82 (6) के तहत अनुमोदन आवश्यक थाः1969 से।मुझे डर लगता है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता से सहमत नहीं हो सकते।याचिकाकर्ता के वकील 1968 के पत्र को सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं।1968 के पत्र में कहा गया है कि 1957 के पत्र में उल्लिखित कुछ सेवा शर्तों को 1966 के अधिनियम की खंड 82 (6) के तहत भी संरक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि खंड 82 (6) के तहत केवल 1957 के पत्र द्वारा परिकल्पित कुछ सेवा शर्तों के संबंध में अनुमोदन की आवश्यकता होगी और अन्य के लिए, जैसा कि 1957 के पत्र में परिकल्पित किया गया है, कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा।दूसरे शब्दों में सेवा शर्तों को बदलने के लिए जैसे

पदोन्नति की तरह, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी और यह माना जाएगा।

(19) जे. एस. सेखों और वी. के. झांजी, जे. जे.-इन अपीलों में आक्षेपित निर्णयों के माध्यम से, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुमोदन पत्रों के आलोक में अधिनियम की खंड 82 (6) के प्रावधानों की ठीक से व्याख्या नहीं की गई थी।

(20) संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिविल सेवकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं और इस शर्त के अधीन कि वे संविधान के भाग III में निहित मूल अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं।अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने संशोधित नियमों में भेदभाव के किसी भी दोष का उल्लेख नहीं किया है।हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से पूरी तरह से बाहर रखा गया है, इसलिए प्रतिवादी की कार्रवाई असंवैधानिक थी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करती थी।आम तौर पर विचार से

बहिष्कार को तब तक अधिकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे प्राप्त करने के लिए एक उचित संबंध न हो।तत्काल मामले में, पदोन्नति के लिए उच्च योग्यता निर्धारित करने के आधार पर विचार से बहिष्कार उचित है।पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड बनाम रविंदर कुमार (8) के मामले में ए. पी. सेन और बी. सी. रे, जे. की एक खण्ड पीठ कहा कि जहां सभी लिनेतन या तो डिप्लोमा धारक या गैर-डिप्लोमा धारक एक ही तरह का काम और कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और लाइन अधीक्षक के पद के लिए एक सामान्य/संयुक्त वरिष्ठता सूची वाले एक ही संवर्ग से संबंधित हैं, तो उन्हें डिप्लोमा धारकों के लिए औटा निर्धारित करने के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि उस मामले में राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 9 मई, 1974 के अपने पत्र में किया गया था।यह घोषित किया गया कि विवादित पत्र पूरी तरह से मनमाना, अवैध, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता खंड का उल्लंघन था।

(21) बाद्व के एक फैसले में, पी. मुरुगेसन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (9) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि रविंदर कुमई के मामले (ऊपर) में निर्धारित कानून सुप्रीम कोर्ट के

वृहद पीठ के फैसले को देखते हुए एक अच्छा कानून नहीं था।

(8) ए. टी. आर. 1987 एस. सी. 367.

(9) 1993 (2) एस. सी. सी. 340

'1.एन. खोसा का मामला (ऊपर)।विभिन्न दलीलों का उल्लेख करते हुए, पी. मुरुगेसन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः

> “प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड बनाम रविंदर कुमार शर्मा, (1986) 4 एस. सी. सी. 617 के निर्णय पर भरोसा किया, जो ए. पी. सेन और बी. सी. रे, जे. जे. की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय था। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड की सेवा में लाइनमैन की श्रेणी में डिप्लोमा धारक और अन्य दोनों शामिल थे जिन्हें गैर-डिप्लोमा धारक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।उन्होंने एक ही श्रेणी का गठन किया जिसमें एक सामान्य वरिष्ठता सूची थी।अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत जारी नियमों के माध्यम से, डिप्लोमा धारकों के लिए एक कोटा निर्धारित किया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि डिप्लोमा धारक जो गैर-डिप्लोमा धारकों से बहुत छोटे थे।विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, पटियाला

द्वारा इस नियम को खराब माना गया था।अपील पर, पटियाला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने फैसले की पुष्टि की।उच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की थी।यह मामला इस अदालत में लाया गया था।इस अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की।फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि पीठ का ध्यान टी. एन. खोसा या अन्य फैसलों की ओर नहीं खींचा गया था।केवल राजनयिकों और गैर-राजनयिकों के बीच की गई टिप्पणी भेदभावपूर्ण और खराब थी।उस मामले और हमारे सामने मामले के बीच तथ्यों पर अंतर के अलावा, यह स्पष्ट है कि टी. एन. खोसा और विषय के तहत प्रासंगिक अन्य निर्णयों पर विचार न करने के कारण एक प्रस्ताव रखा गया था जो टी. एन. खोसा के विपरीत प्रतीत होता है।उस मामले का फैसला करने वाले विद्वान न्यायाधीशों के प्रति बहुत सम्मान के साथ, हम मामले से आने वाले व्यापक प्रस्ताव को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं।

(22) जे एंड के राज्य मेंःके. वी. टी. एन. खोसा (10), सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने की दृष्टि से की गई शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर

वर्गीकरण को किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों पर आधारित नहीं कहा जा सकता है।न्यायालय ने कहाः–

> "चूँकि समानता और समान अवसर की संवैधानिक संहिता समान लोगों के लिए एक चार्टर है, पदोन्नति के मामलों में अवसर की समानता का अर्थ है एक समान प्रचार अवसर -

(10) ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1.

उन व्यक्तियों के लिए योग्यता जो काफी हद तक एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं।इसलिए कर्मचारियों का वर्गीकरण पहले एक वर्ग के सदस्यों की पहचान करने और फिर उन्हें दूसरे वर्ग के सदस्यों से अलग करने के लिए किया जा सकता है।

हालाँकि, वर्गीकरण इस खतरे से भरा हुआ है कि यह कृत्रिम असमानताएँ पैदा कर सकता है और इसलिए, वर्गीकरण के अधिकार को मुख्य प्रतिबंधों के साथ सीमित किया गया है, अन्यथा, समानता की गारंटी को विभिन्न और विशिष्ट उपलब्धियों द्वारा विशेषता वाले अच्छी तरह से चिह्नित वर्गों को नियंत्रित करने के लिए कानूनों के रूप में वर्गीकृत वर्ग कानून में डुबो दिया जाएगा।इसलिए, वर्गीकरण वास्तव में पर्याप्त मतभेदों पर आधारित होना चाहिए जो एक साथ समूह में रखे गए व्यक्तियों को समूह से बाहर रखे गए व्यक्तियों से अलग करते हैं और इस तरह के विभेदक गुणों का (प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ) एक न्यायसंगत और तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

(23) इसलिए न्यायिक जांच केवल इस विचार तक विस्तारित हो सकती है कि क्या वर्गीकरण उचित आधार पर आधारित है और क्या

यह विचार में उद्देश्य के साथ संबंध रखता है।इसका विस्तार वर्गीकरण के आधार का एक अच्छा या गणितीय मूल्यांकन शुरू करने तक नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसी जांच की अनुमति होती तो यह अदालतों के लिए खुला होता कि वे किसी विशेष उद्देश्य को वर्गीकृत करने या प्राप्त करने की वांछनीयता पर विधायिका या नियम बनाने वाले प्राधिकरण के लिए अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करें।

(24) इस दृष्टिकोण से, हमें उत्तरदाताओं की इस दलील को प्रतिग्रहण करना करना असंभव लगता है कि सहायक अभियंता का डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक में वर्गीकरण किसी भी अवास्तविक या अनुचित आधार पर होता है।अपीलकर्ता के अनुसार, इंजीनियरिंग सेवाओं में प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्गीकरण किया गया था।यदि यह उद्देश्य है, तो वर्गीकरण स्पष्ट रूप से उच्च शैक्षिक योग्यता या कम से कम उच्च मानसिक उपकरण के अनुमानित साक्ष्य के लिए इससे सह-संबंधित है।इसका मतलब यह नहीं है कि प्रशासनिक दक्षता केवल तुलनात्मक रूप से उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वालों द्वारा से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह बात नहीं है।प्रासंगिक बात यह है कि यहां हासिल किया जाने वाला उद्देश्य असमानताओं को अंधाधुंध रूप से थोपना नहीं है और वर्गीकरण को मनमाना या हास्यास्पद तर्क

नहीं माना जा सकता है।यह सबसे दूर की बात है जिसे न्यायिक जांच आगे बढ़ा सकती है।

(25) मामले के तथ्यों पर, प्रशासन प्राप्त करने की दृष्टि से की गई शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण -

स्तरीकृत दक्षता को किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं कहा जा सकता है और किसी वर्गीकरण की वैधता का न्याय आदेश के लिए हमेशा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है।1939 के नियमों में सहायक अभियंता की सीधी भर्ती को इंजीनियरिंग स्नातकों तक सीमित करने का प्रावधान, अतीत में स्नातकों की कमी और वर्तमान समय में उनका प्रचुर प्रवाह ऐसे सभी मामले हैं जो वैध रूप से नियम बनाने वाले प्राधिकरण के निर्णयों में प्रवेश कर सकते हैं।इन तथ्यों के आलोक में, उस निर्णय को मनमौजी या काल्पनिक नहीं कहा जा सकता है।एक उच्च मानसिक उपकरण के परीक्षण में आने वाली दक्षता को उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वालों के लिए प्रचार के अवसर को सीमित करके यथोचित रूप से प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है और हम वर्गीकरण की तर्कसंगतता से चिंतित हैं न कि वर्गीकरण के निर्णय की सटीक सटीकता के साथ और न ही इस सवाल के साथ कि क्या वर्गीकरण वैज्ञानिक है।इस तरह के परीक्षण लंबे समय

से रद्द कर दिए गए हैं।वास्तव में यह अमेरिका के 14वें संशोधन के खिलाफ होगा!संविधान केवल तभी जब यह "विशुद्ध रूप से मनमाना, दमनकारी या मनमौजी" हो जोसेफ रेडिस बनाम न्यूयॉर्क राज्य के लोग, (1923) 68 लॉ एड। 690, 695; अमेरिकी चीनी रेफरी। को. वी.लुइसियाना, (1900) 45 लॉ एड। 102, 103 और संविधान की चुनौती का सामना आदेश के लिए उत्पन्न असमानता "वास्तव में और स्पष्ट रूप से अनुचित और मनमाना" होनी चाहिए।रेल आयोग (1923) 67 लॉ एड। 705,710. हमें इस हद तक जाने की आवश्यकता नहीं है कि दो वर्गों-स्नातक और डिप्लोमा धारकों के बीच मतभेद-अलग व्यवहार के लिए एक उचित आधार को उजागर करते हैं और विवादित प्रावधानों के उद्देश्य के साथ एक न्यायसंगत संबंध रखते हैं।

(26) शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यताओं को न्यायालय द्वारा वर्गीकरण की वैधता निर्धारित करने के लिए एक सुरक्षित मानदंड के रूप में मान्यता दी गई है।मैसूर राज्य बनाम पी. नरसिंह राव, (1968) 1 एस. सी. आर. 407 (ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 349) में, जहां ट्रेसरों के संवर्ग को दो भागों में पुनर्गठित किया गया था, जिसमें से एक में उच्च वेतनमान वाले मैट्रिक ट्रेसर और दूसरे में कम वेतनमान वाले गैर-मैट्रिक

ट्रेसर शामिल थे, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 14 और 16 चयनात्मक परीक्षाओं को निर्धारित करने से बाहर नहीं करते हैं और न ही वे सरकार को प्रश्नगत पद के लिए योग्यता निर्धारित करने से रोकते हैं।इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे।गा/नगा राम बनाम भारत संघ, (1970) 3 'एस. सी. आर. 481 में पृष्ठ 488 = (ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 2178) पर यह देखा गया था किः

(27) TheteState का सामना किससे होता है?विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं को सर्वोत्तम सेवा प्राप्त करने के लिए दक्षता और अन्य योग्यता की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार है।

अपने विभिन्न विभागों में पदोन्नति के लिए पात्र होना।" यूनियन ओ. जे. इंडिया बनाम डॉ. (श्रीमती) एस. बी. कोहली, ए. एल. आर. 1973 एस. सी. 811 (813), एक केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम जिसके तहत ऑर्थोपेडिक्स में प्रोफेसर के पास विशेष विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, को इस आधार पर बरकरार रखा गया था कि ऐसी आवश्यकता के आधार पर किया गया वर्गीकरण "प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के संदर्भ के बिना नहीं था और भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।"इस तर्क का कि डिग्री योग्यता उपयुक्तता का एकमात्र मानदंड नहीं था, संक्षिप्त रूप से "अजीब" के रूप में उत्तर दिया गया।

(28) 1970 के नियमों की अनुसूची के तहत सहायक अभियंता संवर्ग से कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए एक डिग्री योग्यता निर्धारित की गई है।लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए समान योग्यता की आवश्यकता हो जो कार्यकारी अभियंता के पद के बाद या मुख्य अभियंता के शीर्ष पद पर पदोन्नति के लिए हो।अनुसूची में प्रावधान है कि इन दो श्रेणियों के पदों की आवश्यकता निम्नलिखित संवर्गों में उन व्यक्तियों के बीच पदोन्नति द्वारा की जाएगी जिनके पास निर्दिष्ट वर्षों का अनुभव है।इस

परिस्थिति को प्रतिवादी द्वारा उनकी इस दलील के समर्थन में सेवा में लगाया जाता है कि वर्गीकरण का पूरा आधार अवास्तविक है और 'वास्तविक उद्देश्य' उच्च प्रशासनिक दक्षता की प्राप्ति नहीं हो सकती है।यदि कार्यकारी अभियंता के पद में दक्षता प्राप्त आदेश के लिए एक डिग्री योग्यता निर्धारित करना आवश्यक समझा जाता था, तो पूर्व परिकल्पना यह समान रूप से अनिवार्य होना चाहिए था, यदि उच्च पदों पर पदोन्नति के संबंध में समान शर्त प्रदान आदेश के लिए अधिक नहीं-इसलिए तर्क को कम करता है।

(29) इस तर्क का अर्थ है कि किसी भी सेवा सुधार में हर पदानुक्रम या किसी को भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।जहाँ भी मौजूद हो, सभी प्रकार की बुराइयों तक पहुँचना और उनका उपचार करना अक्सर असंभव या किसी भी तरह से अक्षम होता है।सुधार कहीं न कहीं से शुरू होना चाहिए यदि इसे बिल्कुल भी शुरू करना है और इसलिए, जिस प्रशासक को अच्छी और जटिल समस्याओं को हल करना है, उसे चरण-दर-चरण अस्थायी रूप से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।, न्यायाधीश होम्स ने इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी किः"हमें याद रखना चाहिए कि सरकार की मशीनरी काम नहीं करती अगर उसे

अपने जोड़ों में थोड़ा खेलने की अनुमति नहीं दी जाती।बैन पीनट कंपनी वी.पिन्सन (1930) 75 लॉ एड। 482,489.

उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए निष्कर्ष निकालाः–

> "इसलिए हमारी राय है कि यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से और पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को सहायक अभियंताओं के एक सामान्य वर्ग में एकीकृत किया गया था, वे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कर सकते थेः

कार्यकारी अभियंता के संवर्ग में पदोन्नति, शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्गीकृत की जाए।यह प्रावधान करने वाला नियम कि स्नातक डिप्लोमा धारकों के बहिष्कार के लिए ऐसी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करता है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।"

(30)यद्यपि तथ्यों पर यह पाया गया है कि टी. आर. कपूर के मामले (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय ने फरवरी, 1968 के अनुमोदन पत्र ध्यान दें नहीं दिया था, फिर भी यह माना जाता है कि उसमें व्यक्त किए गए विचार टी. एन. खोसा के मामले (ऊपर) और पी. मुरुगेसन के मामले (ऊपर) में व्यक्त किए गए विचारों के विपरीत हैं, उच्च न्यायालय को उस न्यायालय की छोटी पीठ द्वारा व्यक्त की गई राय की तुलना में उच्चतम न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा व्यक्त की गई राय का पालन करना होगा।

(31) हम भारत संघ और एक अन्य बनाम के. एस. सुब्रमण्यम (11) के साथ अपने विचारों में मजबूत हैं, जिसमें यह माना गया था कि इस तरह की प्रथा कानून का स्पष्ट शासन है।

(32)केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर बनाम डनलप इंडिया

लिमिटेड और अन्य (12) मामले में, सर्वोच्च न्यायाधीशालय ने देश में न्यायाधीश प्रदान करने की प्रणाली का उल्लेख किया और आशा व्यक्त की कि देश में न्यायाधीशालयों की पदानुक्रमित प्रणाली में, उच्च न्यायाधीशालय सहित प्रत्येक निचले स्तर के लिए यह आवश्यक था कि वे उच्च स्तर के निर्णय को वफादारी से प्रतिग्रहण करना करें।

(33)इसलिए, सेवा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को टी. एन. खोसा के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर और पी. मुरुगेसन के मामले (ऊपर) में संशोधित किया जा सकता है।

(34) ऊपर जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, राम मामले में भाई वी. के. झांजी, जे., सरूप शर्मा बनाम हरियाणा राज्य, 1991 (3) आर. एस. जे. 684 के निर्णय।1989 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 436 में एल. पी. ए. सं. 680 और 1991 के 1270 में आक्षेप किए गए हैं जो कोई अच्छा कानून नहीं हैं।नतीजतन, 1991 के एल. पी. ए. संख्या 680 और 1270 की अनुमति है।इसी तरह, टेक चंद जैन बनाम हरियाणा राज्य (13) में जे. एस. सेखों, जे. का निर्णय।1991 के एल. पी. ए. सं. 139 में आक्षेपित सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1980 के 3042 में भी अलग रखा गया है।नतीजतन, 1991 का एल. पी. ए. सं. 139। 1994 के 115,119 और 120 की अनुमति है।बी. डी. शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

(14) में आर. एस. मोंगिया, जे. का निर्णय.

(11) ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2433.

(12) (1985) 1 एस. सी. सी 260

(13) 1991 (1) एसएलआर 236.

(14) 1992 (3) एसएलआर 752।

सी. वी./में 1992 का एल. पी. ए. सं. 566।1983 के पी. सं. 3644 को बरकरार रखा गया है और इसके परिणामस्वरूप 1992 के एल. पी. ए. सं. 566 को खारिज कर दिया गया है।

(35) प्रभावित कर्मचारियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि उनके ग्राहकों पर लागू सेवा नियमों में एक सामान्य नियम मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि "जहां सरकार संतुष्ट है कि किसी विशेष मामले में किसी भी नियम के संचालन से कठिनाई होती है, तो वह उस नियम के विनियमन को इस हद तक और ऐसी शर्तों के अधीन कर सकती है जो वह मामले को न्यायपूर्ण और न्यायसंगत तरीके से निपटने के लिए आवश्यक समझे।".इस नियम को ध्यान में रखते हुए, हम सराहना करेंगे कि क्या सरकार उन कर्मचारियों के पक्ष में उचित मामलों में छूट की शक्ति का प्रयोग करती है जो अपने अधिकार से वंचित हैं।संशोधित नियमों के तहत योग्यता निर्धारित करने के आधार पर पदोन्नति।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

माननीय ए. एल. बहरी और एन. के. कपूर न्यायाधीश

तारा सिंह- याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाब राज्य और एक और,-उत्तरदाता।

1994 की सिविल रिट याचिका संख्या 8916।

22जुलाई, 1994।

पंजाब नगरपालिका चुनाव नियम, 1952-जोखिम। 29 (2-ए), 37 और 51 (xi) (सी)-चुनाव का संचालन-सामग्री अनियमितता-निर्वाचित उम्मीदवारों के परिणाम को प्रभावित करने वाली ऐसी सामग्री अनियमितता के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं-चुनावों को रद्द करने का आदेश-ऐसा आदेश मान्य नहीं है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी भी नामांकन की मात्र अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति या अनुचित स्वागत या किसी वोट या स्वागत से इनकार करना जो नियमों के अधिनियम के प्रावधानों का अमान्य या गैर-अनुपालन है या किसी भी रूप के उपयोग में गलती है, जब तक कि यह चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करता है, तब तक भौतिक अनियमितता नहीं होगी।नीचे दिए गए

अधिकारियों ने यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि किसी भी वैध वोट की स्वीकृति या अस्वीकृति या प्रपत्रों में अनियमितता के कारण यह याचिकाकर्ता के चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित करता है।उस निष्कर्ष की अनुपस्थिति में में, याचिकाकर्ता के चुनाव को दरकिनार नहीं किया जा सका।

अंगूठे के प्रिंट के छोटे भाग वाले मतपत्र-क्या ऐसा मतपत्र अस्वीकृत होने योग्य है।

<u>अस्वीकरण:</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा